| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 5.8.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 7.9.17 को पेश हो। SDO Sarwar |
| 7.9.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 5.10.17 को पेश हो। SDO Sarwar |
| 5.10.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 20.11.17 को पेश हो। SDO Sarwar |
| 20.11.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 22.12.17 को पेश हो। SDO Sarwar |
| 22.12.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 11.1.18 को पेश हो। SDO Sarwar |
| 11.1.18 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। P.O. साहब बाहर गये हैं मिसल दिनांक 16.2.18 को पेश हो। |
| 16.2.18 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 10.5.18 को पेश हो। SDO Sarwar |
| | 10.5.18 पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके द्वार अभियान 20.. [illegible] कैम्प में राजीनामा हेतु दिनांक 22-5-18 ग्रा.पं. सातोलाव को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] |
| श्रवण 22.5.18 | पत्रावली आज अटल सेवाकेन्द्र ग्राम सातोलाव में पेश हुई। प्रतिवादी श्रवण हाजिर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 RTAct का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सतोलिमा की जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता सं. नया-पुराना 35-33 खसरा न. 331 रकबा 0.07.00 बिघा, ता. 2 उसमे प्रतिवादी का किसी प्रकार का ~~वास्तविक~~ वास्तासरोकार नहीं है परन्तु प्रतिवादी की नियत बद है व येनकेन प्रकारेण वादी व प्रतिवादी को अपनी खातेदारी की वाद वर्णित अराजीयात से |

Scanned by CamScanner

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| बेदखल कर अपना नाजायज रूप से कब्जा, आधिपत्य करने पर आमादा है एवं यह रवैया उसने दिनांक 25.08.2016 से कर रखा है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है अतः प्रतिवादी व उसके रिश्तेदार, नौकर-चाकर को मुलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि वे वादी व प्रर्फोमा प्रतिवादी के कब्जे-काश्त उपभोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नही पहुचाये व न ही उस पर कब्जा करे। नही ऐसा कार्य करे जिससे वादी व प्रर्फोमा प्रतिवादी वाद वर्णित अराजियात की उपभोग, उपभोग व कब्जेकाश्त से वंचित हो। वादी ने वाद पत्र को स्वीकार किया तथा पाबन्द होने का निवेदन किया। अतः प्रतिवादी को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादी व प्रर्फोमा प्रतिवादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे।<br>इस आशय का डिकरी पर्चा जारी हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।<br><br>(signature)<br>सदस्य<br>लोक अदालत शिविर<br>सरवाड़ (अजमेर)<br><br>(signature)<br>अध्यक्ष<br>लोक अदालत शिविर<br>सरवाड़ (अजमेर) | |

(signature)
सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner